भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3637

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल

3637. **श्री विजय बघेल;**
श्री नव चरण माझी;

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई-श्रम पोर्टल को सरकार के अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे सहित छत्तीसगढ़ सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कितनी योजनाओं को उक्त पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है;

(घ) उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और सभी संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सभी पंजीकृत श्रमिकों को आधार से जुड़े ई-श्रम कार्ड जारी किए गए हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) जिन श्रमिकों को आधार से जुड़े ई-श्रम कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, उन्हें आधार से जुडे ई-श्रम कार्ड जारी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) उक्त पोर्टल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ) : श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 4 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन"

का शुभारंभ किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

पंजीकरण प्रक्रिया एक सतत और निरंतर गतिविधि है, जो कामगारों को किसी भी समय स्व-पंजीकरण मॉड्यूल या सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएससी) या राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण के द्वारा नामांकन करने की अनुमति देती है।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता बढ़ाने और असंगठित कामगारों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को प्लेटफार्म एग्रीगेटर मॉड्यूल का शुभारंभ किया है ताकि ई-श्रम पर प्लेटफार्म एग्रीगेटर्स को शामिल किया जा सके। यह पहल, इन एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पारिस्थितिक तंत्र में एकीकृत करती है, प्लेटफार्म-आधारित गिग कामगारों की औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है और इससे समावेशी और न्यायसंगत श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

नियोक्ता अपने असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए सदैव प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं। इस संबंध में, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है।

*****